

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्या,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016

विषय:-ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पंचायत भवनों पर विकासपरक योजनाओं के कार्यकलापों को वाल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाल पेंटिंग योजना का स्वरूप निर्धारण एवं योजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 8-9-2016 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें योजना का क्रियान्वयन किए जाने हेतु दिशा-निर्देश तथा कार्य योजना के स्वरूप निर्धारण पर निर्णय लिया गया। जनपद स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत किया जाता है:-

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1- जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3- जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 4- जिला पंचायतराज अधिकारी | सदस्य सचिव |

2- वाल पेंटिंग योजना का ब्लाक स्तर पर समन्वय खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ब्लाक स्तर से ग्राम पंचायत तक वाल पेंटिंग सहित वेन्डर के कर्मियों को ले जाने और उस कार्य में सहायता पहुंचाने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी करेंगे।

3- अतः अनुरोध है कि विकास परक योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पंचायत भवनों पर वाल पेंटिंग योजना के अन्तर्गत वाल पेंटिंग कराये जाने हेतु उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्या)

विशेष सचिव।

संख्या:-2611(1)/33-3-2016 तदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ०प्र०।
- 4- समस्त जिला सूचना अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र०
- 6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० सिंह)

उप सचिव।